रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2003/ज्येष्ठ 29, 1925
No. 555] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2003/JYAISTHA 29, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2003

का. आ. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) की अधिसूचना सं. 716(अ) तारीख 21 अगस्त, 1998 में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

(तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209 का भाग है, 161/2 कि. मी. में, नौययाल नदी के आर पार अथुपालम पुल के उपयोक्ताओं से संगृहीत की जाने वाली दरें)

क्र.सं.	यानों के प्रवर्ग	प्रतियान प्रतिट्रिप शुल्क की दरें (रुपये)
1.	कार या जीप अथवा यान	6
2.	हलके वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	17
3.	बस	17
4.	ट्रक	17
5.	बहुधुरीय यान या भारी सन्निर्माण उपस्कर	27"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर. डब्ल्यू./एन. एच.-12014/528/2000-टी एन/एन एच-8)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

नोट.—मूल अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त, 1998 को का.आ. सं. 716(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 3 मई, 2001 की अधिसूचना सं. 383(अ) और दिनांक 5 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 707(अ) द्वारा इसमें संशोधन किये गये थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2003

S.O. 716(E).— In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wing), No. 716 (E) dated 21st August, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such amendments, namely :—

1. In the said notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

(Rates to be collected from users of Athupalam bridge across river Noyyal in km. 161/2 of NH 47 in the State of Tamil Nadu now forming part of National Highway No. 209).

S. No.	Categories of Vehicles	Fee Rates in Rs. per vehicle per trip
1.	Car or Jeep or Van	6
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	17
3.	Bus	17
4.	Truck	17
5.	Multi-axle vehicle or Heavy construction equipment	27."

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. RW/NH-12014/528/2000-TN/NH-8]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note.—The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 716(E) dated the 21st August, 1998 and subsequently amended vide notifications number 383(E) dated, in 3rd May, 2001 and 707(E) dated, in 5th July, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2003

का. आ. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) की अधिसूचना सं. 717(अ) तारीख 21 अगस्त, 1998 में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

(तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर बाईपास के उपयोक्ताओं से संग्रहीत की जाने वाली दरें)

क्र.सं.	यानों के प्रवर्ग	प्रति यान प्रति ट्रिप शुल्क की दरें (रुपये)	
		राज्यीय राजमार्ग सं. 8 की क्रासिंग से त्रिची या कोयम्बटूर की ओर से प्रवेश करने वाले और सलेम की ओर जाने वाले यान तथा राज्यीय राजमार्ग सं. 10 की क्रासिंग से पोलाची या कोयम्बटूर की ओर से प्रवेश करने वाले और कोचीन की ओर जाने वाले यान।	बाइपास के सलेम सिरे से प्रवेश करने वाले राज्यीय राजमार्ग सं 8 की क्रासिंग से परे जाने वाले यान या बाइपास के कोचीन सिरे से प्रवेश करने वाले और राज्यीय राजमार्ग सं. 10 की क्रासिंग से परे जाने वाले यान तथा राज्यीय राजमार्ग सं. 10 की क्रासिंग से प्रवेश करने वाले और सलेम की ओर जाने वाले और राज्यीय राजमार्ग सं. 8 की क्रासिंग से प्रवेश करने वाले तथा कोचीन की ओर जाने वाले यान।
		आंशिक दरें	सम्पूर्ण दर
1.	कार या जीप अथवा यान	8	22
2.	हलके वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	12	32
3.	बस	23	65
4.	ट्रक	23	65
5.	बहुधुरीय यान या भारी सन्निर्माण उपस्कर	35	97"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर. डब्ल्यू./एन. एच.-12014(528) 2000-टी एन/एन एच-8)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

नोट.—मूल अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त, 1998 को का.आ. सं. 717 (अ) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 3 मई, 2001 की अधिसूचना सं. 384(अ) और दिनांक 5 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 708(अ) द्वारा इसमें संशोधन किये गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2003

S.O. 717(E).— In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wing), No. 717 (E) dated 21st August, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such amendments, namely :—

In the said Notification, for the Schedule, the following Schedule shall be substitued, namely :—

"SCHEDULE

(Rates to be collected from users of Coimbator Bypass in the State of tamil Nadu)

S. No.	Categories of Vehicles	Fee Rates in Rs. per vehicle per trip	
		Vehicles entering from Trichy or Coimbatore sides from State Highway No. 8 crossing and going towards Salem as well as vehicles entering from Pollachi or Coimbatore sides from State Highway No. 10 crossing and going towards Cochin.	Vehicles entering from Salem end of bypass going beyond State Highway No. 8 crossing or vehicles entering from cochin end of bypass and going beyond State Highway No. 10 crossing and as well as vehicles entering from State Highways No. 10 crossing and going towards Salem and vehicles entering from State

		Highway No. 8 crossing and going towards cochin.	
S. No.	Categories of Vehicles	(Partial Rates)	(Full Rate)
1.	Car or Jeep or Van	8	22
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	12	32
3.	Bus	23	65
4.	Truck	23	65
5.	Multi-axle vehicle or Heavy construction equipment	35	97"

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. RW/NH-12014/528/2000-TN/NH-8)]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note.—The Principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 717(E) dated the 21st August, 1998 and subsequently amended *vide* notifications number 384 (E) dated, in 3rd May, 2001 and 708(E) dated, in 5th July, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.